Vin5

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद। पत्रांक 843/MP2one-6/20
दिनांक 10/06/2020

सेवा में,

श्री सतनाम सिंह सचदेवा,
डायरेक्टर– मै0 रियौ हाईट्स प्रा0 लि0 (मै0 अम्बा रियलटर्स प्रा0 लि0)
आर–36, रमेश पार्क, लक्ष्मीनगर, शक्करपुर,
ईस्ट दिल्ली–110092

विषयः संशोधित मानचित्र संख्या– **MAP20190813185523193** स्वीकृति दि0 20.03.20 के समयवृद्धि की के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 18.05.2020 के क्रम में खसरा संख्या– 526मि0/1, व 526/1मि0 राजस्व ग्राम मोहिद्दीनपुर, कनावनी, गाजियाबाद पर स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग के मानचित्र संख्या– MAP20190813185523193 स्वीकृति दिनांक 20.03.20 पर तीन वर्ष की समयवृद्धि की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.05.20 को प्रदान कर दी गयी है। आपके स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि दिनांक 11.08.2020 से 10.08.2023 तक बढ़ायी जाती है। शेष नियम व शर्तें पूर्व स्वीकृत पत्र संख्या–840/एम.पी./जोन–6/20 दिनांक 15.05.2020 के अनुसार रहेगी।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

10/6/2020

(अशीष शिवुपरी)
मुख्य नगर नियोजक

Copy.
1. प्रभारी पर्यवेक्षण जोन-6 को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

पत्रांक : 840/मानचित्र सं.– MAP20190813185523193 /M.P. 2020-6/20 दिनाँक :- 15 May-2020

श्री सतनाम सिंह सचदेवा
डायरेक्टर मै. रियो हाईट्स प्रा.लि. (मै. अम्बा रियलटर्स प्रा.लि.)
आर–36, रमेश पार्क, लक्ष्मीनगर, शकरपुर,
ईस्ट दिल्ली–110092

आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में राजस्व ग्राम मोहिउद्दीनपुर कनावनी स्थित खसरा सं.–526मि./1, 526/1मि. पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र सं.– MAP20190813185523193 पर उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनाँक 20.03.2020 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल 10 अगस्त, 2020 तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे–नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि सार्वजनिक सडक की ओर न खुले।
7. सडक सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
9. यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
10. सडक पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
11. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
12. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड लगाना अनिवार्य होंगे।
14. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा। भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण करानें होंगे तथा बिना आज्ञा व प्रमाण–पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायेगें।
15. 300 वर्गमी. या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
16. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचरना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. निर्धारित 24.00 मी. चौडी जोनल रोड में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोडते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
19. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
20. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाह्य विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करायें जायेंगे।
21. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
22. भू–गर्भ जल का उपयोग किये जाने से पूर्व सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
23. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
24. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जाय एवं डस्ट सस्पेंशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
25. नियमानुसार RERA में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
26. देय बकाया धनराशि, जो प्राधिकरण कोष में जमा कराने हैं, को 04 छमाही किश्तों में 15% ब्याज सहित जमा किया जाना है, जिसकी जिसकी प्रथम किश्त दिनाँक 30.06.2020 को देय है। निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
27. अतिरिक्त शर्ते स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न हैं एवं मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

15/5/2020

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
गा.वि.प्रा., गाजियाबाद

पत्रांक /मा.प्लान/ दिनाँक /
प्रतिलिपि प्रवर्तन खण्ड जोन–6 को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक

Scanned with CamScanner